प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 26.07.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➢ 'बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान' बालिकाओं को किया गया जागरुक–

जनपद कुशीनगर में बालिकाओं / छात्राओं / महिलाओं को जागरुक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे 'बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान' के क्रम में आज दिनांक 26.07.2019 पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 05 विद्यालयों पर 1600 से अधिक छात्राओं को जागरुक करते हुए महिला सुरक्षा व हेल्पलाइन नम्बर जैसे- डायल 100, महिला हेल्प लाइन 181 तथा 1090 के संबन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी दी गयी।

उल्लेखनीय है कि उक्त 'बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान' जनपद कुशीनगर के क्रमश: 1-मदरसा सोगरा कनीज इंटरमीडिएट कालेज कटनवार पड़रौना, 2-नेहरु इंटर कालेज जटहां बाजार कुशीनगर, 3-श्री कैलाश शाही स्मारक इंटर कालेज अहिरौली बाजार कुशीनगर, 4-लोक नायक इंटरमीडिएट कालेज सेवरही कुशीनगर, 5-सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कालेज कुशीनगर आदि विद्यालयों में संचालित किया गया।

इसके अतिरिक्त जागरुकता संम्बन्धी प्रचार सामग्री जिसमें 1090 के पोस्टर, यूपी 100 के पोस्टर तथा 1090 के येलो कार्ड आदि शामिल है वितरित किये गये।

➢ यातायात सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्रों को किया गया जागरुक-

आज दिनाँक 26/7/2019 को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में t.s.i. व समस्त यातायात टीम के साथ यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सपहां रोड कसया कुशीनगर में प्रबन्धक राजीव कुमार, प्रधानाचार्या पूनम गुप्ता अध्यापक रोबीन, अमृत, रविशंकर, नागेश्वर, अवनीश, नौशाद, सत्यप्रकाश, श्याम, प्रीति, अनिता आदि लोगो की उपस्थिति में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया एवं उन्हें यातायात नियमो को पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई साथ ही उनको प्रेरित किया गया कि वे अपने अभिभावकों को यातायात नियमों के बारे में बताए उन्हें जागरूक करें की वे वाहन चलाते समय मोबाइल से बात न करें, गति सीमा से अधिक गति से वाहन न चलाये, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का सदैव प्रयोग करे, तीन सवारी कदापि न बैठाये, चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अवश्य लगाये, नशे की हालत में वाहन कभी न चलाये तथा अन्य यातायात नियमों को पालन करने / कराने के लिए बच्चों को जन जागरूकता अभियान के रूप में इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया जिससे जनपद में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। साथ ही t.s.i. द्वारा स्कूल के वाहनो की भी जांच की गई कि वे मानक के अनुरूप चल रही हैं कि नही उनमे फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, बच्चों के बैठने की छमता इत्यादि की जांच की गयी, और चालकों को यातायात नियमो के बारे में बताया गया उन्हें वाहन को हमेशा नियत गति से चलाने की हिदायत दी गयी।

➢ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-

थाना हाटा –

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त नैलु चौहान पुत्र लाल बचन साकिन घोरटप भिस्वा थाना हाटा जनपद कुशीनगर को व इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्ता गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 कच्ची व 10 ली0 अपमिश्रित शराब, 500 युरिया, 500 नौसादर बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 310/19 धारा 60 आबकारी व मु0अ0सं0 312/19 धारा 60 आबकारी व 272 भादवि के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त रमजान पुत्र यासिन साकिन कस्बा हाटा थाना हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद कर मु0अ0सं0 311/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 24 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➢ कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-18 वाहन से शमन शुल्क- रु0-5900 ।
2. आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही- मु0-01, अभि0-01, बरामदगी- एक अदद चाकू।
3. **आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-** 10 ली0 कच्ची व 10ली0 अपमिश्रित, 500 युरिया, 500 नौसादर ।

मीडिया सेल
कुशीनगर।